

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कमांक-1195 / 2004

संस्थित दिनांक-14.11.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी,  
बफरजोन वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

कुंवर सिंह वल्द चमरूलाल अहीर, उम्र 47 वर्ष,  
निवासी-मुरेंडा, थाना गढ़ी,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-14 / 10 / 2014 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2(31), 9, 32, 39, 50 सहपठित 51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-22.09.2002 को रात में वन परिक्षेत्र गढ़ी (बफरजोन) के परसामऊ बीट में कक्ष कमांक-845 मुरेंडा जंगल में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के वन्य प्राणी एक जंगली सुअर का शिकार करने के आशय से आरक्षित वन कक्ष में विस्फोटक सुअर मार बम को मक्का लाई के साथ मिलाकर एक जंगली सुअर को मारकर आखेट किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि गढ़ी परिक्षेत्र के परसामऊ बीट क्षेत्र में प्रभारी बीटगार्ड को केम्प श्रमिक द्वारा सूचना मिली कि दिनांक-22.09.2002 की रात्रि में आरोपी कुंवरसिंह द्वारा प्रताप के खेत में सुअर मार बम रखकर जंगली सुअर का शिकार किया गया है। बीट प्रभारी द्वारा उक्त सूचना परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी को दी गई। उक्त सूचना पर परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी परिक्षेत्र (बफरजोन) ए.जी.खान के निर्देशन में परिक्षेत्र सहायक मोतीनाला, बीट प्रभारी परसामऊ तथा श्रमिक और हमराह स्टाफ के साथ दिनांक-23.09.2002 को ग्राम मुरेंडा गये जहां आरोपी की पता साजी किये परन्तु आरोपी नहीं मिला। उनके द्वारा दिनांक-24.09.2002 को पुनः आरोपी की पता साजी कर मिलने पर उससे पूछताछ की गई, जिस पर आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा दिनांक-22.09.2002 को प्रताप के खेत में जंगली सुअर मार बम मक्का के लाई के साथ मिलाकर रखा गया था, जिसे जंगली सुअर द्वारा खाये जाने पर

गोला फटने की आवाज सुनाई दी, तब उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर सुअर को काट-पीट कर भून कर खाया गया। आरोपी की निशानदेही पर पंचो के समक्ष सुअर काटने के औजार तथा सुअर का बाल लगा मांस का टुकड़ा तथा बम के ऊपर लपेटी हुई सुतली के टुकड़े जप्त किये गये। उनके द्वारा आरोपी से बम रखने के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने घर से 4 नग गोला निकाल कर पेश किया गया, जिसे पंचो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र गढ़ी(बफरजोन) द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-3773/10, धारा-2(39), 9, 32, 39, 50 सहपठित 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2003) के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्तशुदा सामान रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2(31), 9, 32, 39, 50 सहपठित 51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.09.2002 को रात में वन परिक्षेत्र गढ़ी (बफरजोन) के परसामऊ बीट में कक्ष क्रमांक-845 मुरेंडा जंगल में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के वन्य प्राणी एक जंगली सुअर का शिकार करने के आशय से आरक्षित वन कक्ष में विस्फोटक सुअर मार बम को मक्का लाई के साथ मिलाकर एक जंगली सुअर को मारकर आखेट किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- अब्दुल गफूर खान (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक-14.11.2002 को रेंज अधिकारी गढ़ी के पद पदस्थ था तथा वह म.प्र.शासन द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी (बफरजोन) वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व मंडला की हैसियत से परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है। उसके द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक-3773/2010, दिनांक-24.09.2002 में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने परिवाद के साथ अधिकार पत्र संलग्न नहीं किया है तथा साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त दस्तावेज आवश्यक नहीं है। इस साक्षी के द्वारा प्रकरण में मात्र परिवाद प्रस्तुति के तथ्य की पुष्टि की गई है।

6- रामकरण अग्निहोत्री (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह वर्ष 2002 में बीट प्रभारी परसामऊ के पद पर वन विभाग में कार्यरत था। उसे गश्ती श्रमिको ने आकर बताया था कि दिनांक-22.09.2002 की रात्रि में आरोपी के द्वारा प्रताप के खेत में सुअर मार बम से सुअर को मारा गया है। उक्त घटना की सूचना

उसके द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी को दी गई थी, जिसके निर्देश पर परिक्षेत्र सहायक रधुनाथ प्रसाद, फायर वाचक नरोत्तमदास के साथ गया था। उसके द्वारा आरोपी से एक कुल्हाड़ी, हंसिया, छोटी लकड़ी, सुअर का चमड़ा बाल लगा हुआ छोटा टुकड़ा गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पी.ओ.आर. जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के घर से 4 नग गोले जप्त कर, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष आरोपी से गोले के ऊपर लपेटी हुई सुतली धागे के छोटे-छोटे टुकड़े जप्त किया गया और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। परिक्षेत्र सहायक द्वारा पंचनामा तैयार किया गया था तथा आरोपी के बयान लिये गये थे।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि गांव में लोग पालतू सुअर को पालते हैं और कांटकर खाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह जंगली सुअर और पालतू सुअर के मांस, चमड़े में अंतर नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 में उसने विभाग के लोगो को गवाह बनाया था। साक्षी ने जप्ती कार्यवाही में विभागीय कर्मचारी के अलावा स्थानीय लोगो को गवाह न बनाये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई कुल्हाड़ी, हंसिया, छोटी लकड़ी, सुअर का चमड़ा बाल लगा टुकड़ा, 4 नग गोले की जप्ती कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य पेश की है। जप्ती अधिकारी ने उसके द्वारा की गई कार्यवाही में विभागीय कर्मचारियों को गवाह के रूप में शामिल किया है। प्रकरण में यह देखा जाना है कि जप्ती कार्यवाही का समर्थन गवाहों के द्वारा किया गया है।

8— जप्ती के साक्षी नौतमदास (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कुंवरसिंह को जानता है। घटना वर्ष 2002 की है, उसे छोटेलाल ने बताया था कि आरोपी ने गोले से सुअर मारा था। आरोपी कुंवरसिंह के घर से चार गोले मिले थे। वह, वनपाल के साथ आरोपी कुंवरसिंह के घर गया था, जहां आरोपी नहीं मिला था। दूसरे दिन जाने पर आरोपी कुंवरसिंह ने गोला निकालकर दिया था। आरोपी से सिर्फ एक गोला मिला था। रम्मू और बजारी के घर से मांस मिला था। आरोपी से हंसिया, कुल्हाड़ी, सुतली के 4 टुकड़े, 1 नग लकड़ी खून लगी हुई लाये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रताप के खेत से हंसिया, कुल्हाड़ी, गोले के ऊपर लपेटने वाली सुतली चार नग, जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुंवरसिंह ने गोला निकालकर अपने घर से दिया था, जिसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुंवरसिंह ने बताया था कि राजस्थानी लोगों से उसने गोला लिया था। आरोपी का बयान प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुंवरसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने इतवारी ने प्रदर्श पी-7 एवं रम्मू ने प्रदर्श

पी-8 का बयान दिया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। रामदयाल ने प्रदर्श पी-9 का बयान दिया था। उसके द्वारा प्रदर्श पी-10 का बयान दिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी के घर से मांस जप्त नहीं हुआ था तथा उसके घर से मिले गोले की सुतली के अंदर क्या था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने सुअर का शिकार करते, मांस काटते या किसी को मांस बांटते हुये नहीं देखा। इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करने के आशय से मुख्य परीक्षण में कथन किया है, किन्तु मात्र जप्ती कार्यवाही को छोड़कर साक्षी ने आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में परिवादी पक्ष का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जहां तक जप्ती कार्यवाही का प्रश्न है उसके संबंध में भी साक्षी ने मात्र उसके सामने हंसिया, कुल्हाड़ी, सुतली के टुकड़े ही जप्त करने का समर्थन किया है, किन्तु कथित गोला या मांस की जप्ती का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— रामदयाल (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 7-8 वर्ष पूर्व मुरेंडा में खेत की है। वह स्टाफ के साथ घटना स्थल पर गया था, वहां पर खून के निशान मिले थे। उसके सामने जप्ती में जानवर मारने का गोला जप्त हुआ था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के घर से जप्तीनामा प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से एक हंसिया, एक कुल्हाड़ी, एक नग लकड़ी, मादा सुअर के बाल लगी हुई मांस का टुकड़ा, सुतली के टुकड़े जप्त हुये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने गोले से सुअर मारने वाली बात बतायी थी। जबकि ने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती के समय वह आरोपी के मकान के बाहर खड़ा हुआ था तथा रेंजर साहब ने क्या जप्त किया था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह रेंजर साहब के अधिनस्थ चौकीदार के पद पर कार्यरत होते हुये मौके पर गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रेंजर साहब ने उससे कागज पर अधिनस्थ कर्मचारी होने के कारण उस पर हस्ताक्षर करवाये थे, जिसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में पक्ष विरोधी होने के पश्चात् परिवादी का समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में जप्ती के समय आरोपी के मकान के बाहर खड़े होने और जप्ती की जानकारी न होने की स्वीकारोक्ति से साक्षी के कथन से जप्ती कार्यवाही का समर्थन परिवादी को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी ने परिवादी का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— संतोष बघेल (अ.सा.5) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह मौके पर नहीं था। उसने प्रदर्श पी-11 के पंचनामा पर पंचनामा लिखने के बाद हस्ताक्षर किया था एवं प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को



पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने जंगली सुअर कांटा था और आरोपी ने उसके सामने कथित बाल लगी हुई चमड़ी, मांस कांटने की लकड़ी, हंसिया या कुल्हाड़ी जप्त किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय वन विभाग में कार्य कर रहा था, इस कारण फारेस्टर के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिया था, किन्तु उसमें क्या लिखा था वह नहीं बता सकता। इस प्रकार इस साक्षी ने विभागीय कर्मचारी होने के बावजूद भी उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— परिक्षेत्र सहायक रघुनंदन प्रसाद (अ.सा.6) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—22.09.2002 को परिक्षेत्र सहायक मोतीनाला के पद पर कार्यरत था। उसे सूचना मिली कि आरोपी ने कक्ष क्रमांक—845 मुरेंडा जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार किया है। उक्त सूचना पर वह, विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर ग्राम मुरेंडा गया था जहां आरोपी कुंवरसिंह मिला। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने विस्फोटक गोले से जंगली सुअर का शिकार किया है तथा उसका मांस भुंजकर खाया। आरोपी की निशानदेही पर उनके द्वारा सुअर का बाल व हड्डी इत्यादि की जप्ती की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बारूदी गोले उसके घर पर रखे हुए हैं, जिस पर उनके द्वारा आरोपी के घर से करीब 04 नग बारूदी गोले बरामद किये गये। घटना स्थल का पंचनामा प्रदर्श पी—11 व पंचनामा प्रदर्श पी—12 उसके समक्ष बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विस्फोटक गोला जप्त करने का पंचनामा प्रदर्श पी—13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कुंवरसिंह से घटना में प्रयुक्त हंसिया एवं कुल्हाड़ी उसके समक्ष जप्त की गई थी। आरोपी कुंवरसिंह का बयान उसके द्वारा दर्ज किया गया था, जो प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना का नजरी नक्शा उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ईतवारी का बयान प्रदर्श पी—7, साक्षी रवन का बयान प्रदर्श पी—8, साक्षी रामदयाल का बयान प्रदर्श पी—9, साक्षी नोतमदास का बयान प्रदर्श पी—10, साक्षी छोटेलाल का बयान प्रदर्श पी—15, वनपाल आर.के.अग्निहोत्री का बयान प्रदर्श पी—16 तथा साक्षी संतोष का प्रदर्श पी—17 है जो दर्ज किये गये किये थे, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सूचना मिलने पर उसके साथ घटना स्थल पर कौन गया था, उसे याद नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जप्तशुदा कुल्हाड़ी एवं हंसिया को परीक्षण हेतु विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गांव में पालतु सुअर भी पाल कर कांटते हैं और जंगली सुअर और पालतु सुअर के बाल और खून में कोई अंतर नहीं होता। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने कंटे हुये किसी जंगली जानवर के मांस को पहचानने का प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस प्रकार इस साक्षी ने मामले में सम्पूर्ण कार्यवाही को स्वयं अकेले के द्वारा किये जाने की पुष्टि की है। साक्षी ने जप्ती

अधिकारी के रूप में आरोपी के घर से कथित 04 नग बारूदी गोले और उसके पश्चात् घटना में प्रयुक्त हंसिया और कुल्हाड़ी की जप्ती की कार्यवाही का समय व दिनांक का वर्णन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि उसकी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उसने सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन पूर्ण किया था। साक्षी के द्वारा बनाये पंचनामा प्रदर्श पी-13 एवं जप्ती फार्म प्रदर्श पी-3 में कथित 04 नग विस्फोटक गोला दिनांक-25.09.2002 को जप्त किया जाना प्रकट किया है, किन्तु दोनों पंचनामा में साक्षी के नाम अलग-अलग उल्लेखित हैं। अतएव एक ही समय में उक्त जप्ती तैयार करने पर पृथक-पृथक साक्षियों को शामिल किये जाने से विधिवत् जप्ती कार्यवाही किया जाना संदेहास्पद हो जाता है। इसके अलावा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अन्य साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पृथक से तैयार पंचनामा प्रदर्श पी-12 में दिनांक-22.09.2002 को गोले के उपर बांधने वाल लाल रंग की सुतली की जप्ती की गई, जिसका वर्णन जप्ती अधिकारी परिक्षेत्र सहायक रघुनंदन प्रसाद (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। वास्तव में यदि दिनांक-22.09.2002 को मौके पर कथित शिकार से संबंधित वस्तु की बरामदगी आरोपी के कब्जे से की गई तब 03 दिन पश्चात् कथित गोला एवं अन्य सामग्री की जप्ती करने का स्पष्टीकरण परिवादी पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 में कथित गिरफ्तारी दिनांक-25.09.2002 में ओवर राईटिंग कर दिनांक-24 के स्थान पर 25 किया जाना परिलक्षित होता है। उक्त सभी संदेहास्पद तथ्य एवं परिस्थिति को जप्ती अधिकारी परिक्षेत्र सहायक रघुनंदन प्रसाद (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

13— छोटेलाल (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 5-6 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह वन विभाग में कार्य करता था। उसने आरोपी के घर पर जाकर कुछ नहीं देखा था। उसने आरोपी को अपने साथ कुछ ले जाते हुए नहीं देखा था। प्रदर्श पी-15 पर तथा पंचनामा प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि वह आज नहीं बता सकता कि पंचनामा प्रदर्श पी-13 उसके समक्ष बनाया गया था या नहीं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी से 04 नग विस्फोटक गोला जप्त हुये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना के समय आरोपी को हंसिया या कुल्हाड़ी ले जाते हुये देखा था। साक्षी ने उसके कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वन विभाग में सुरक्षा सैनिक के रूप में कार्यरत था। इस प्रकार साक्षी ने विभागीय कर्मचारी होते हुये भी उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का किसी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी परिक्षेत्र सहायक रघुनंदन प्रसाद (अ.सा.6) ने सम्पूर्ण कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध मामला तैयार कर उसे अभियोजित किया है। ऐसी दशा में उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही को निष्पक्ष एवं संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का स्वयं विभागीय

साक्षीगण ने ही समर्थन नहीं किया है। जप्ती अधिकारी की कार्यवाही में परस्पर विरोधाभाष एवं विसंगति होना प्रकट होता है। इसके अलावा परिक्षेत्र सहायक रघुनंदन प्रसाद (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कार्यवाही किये जाने की दिनांक एवं समय का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उसके द्वारा तैयार पंचनामा प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12, प्रदर्श पी-13 में अलग-अलग दिनांक व समय पर कार्यवाही किये जाने और उक्त कार्यवाही श्रंखलाबद्ध तरीके से निष्पादित किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शितापूर्ण न होकर विसंगतिपूर्ण व विरोधाभाषी तथ्यों से परिपूर्ण होकर अस्वाभाविक प्रतीत होती है, जिससे परिवादी पक्ष का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

15— परिवादी की ओर से मामले में आरोपी से कथित रूप से जप्त सुअर के बाल लगा मांस के टुकड़े का परीक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं है और न ही उसकी परीक्षण रिपोर्ट पेश की गई है। परिवादी की ओर से मात्र गोले की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 पेश की है, जिसमें जीवित हथगोले के रूप में वन्य प्राणी जीवन को क्षति होना संभावित होना बताया गया है। यदि इस रिपोर्ट के आधार पर कथित हथगोले को शिकार के रूप में उपयोग किया जाना मान भी लिया जाये तब भी उक्त गोले को आरोपी के आधिपत्य से जप्त किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही यह तथ्य प्रमाणित है कि कथित जप्तशुदा गोले को ही रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा गोले को परीक्षण के उपरांत न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से इस संबंध में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है कि कथित जीवित हथगोले आरोपी के आधिपत्य से प्राप्त होने पर पुलिस को सूचित कर अपराधिक मामला दर्ज कराकर उसे अभियोजित क्यों नहीं किया गया।

16— जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई विसंगतिपूर्ण एवं अविश्वसनीय कार्यवाही के आधार पर यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने कथित जंगली सुअर का शिकार करने की स्वीकारोक्ति की थी। वास्तव में कथित शिकार किये जाने के संबंध में आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से ऐसी सामग्री जप्त नहीं हुई और न ही उसे किसी ने शिकार करते हुये देखा। ऐसी दशा में तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि बारूदी गोले की जप्ती आरोपी के आधिपत्य से हुई तब भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मात्र उक्त कारण से उसे कथित शिकार मारने के अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। न्यायदृष्टांत **रेखाचंद विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. 2008 (4) एम. पी.एच.टी. 464** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोपी से किसी पशु के अवयव के अवैध आधिपत्य के अभाव में कथित अवैध शिकार किये जाने हेतु आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। उक्त के प्रकाश में भी आरोपी के आधिपत्य से कथित जंगली सुअर के अवयव जप्त किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने एवं कथित शिकार हेतु प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभाव में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति-युक्त से संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक-22.09.2002 को रात में वन परिक्षेत्र गढ़ी (बफरजोन) के परसामऊ बीट में कक्ष क्रमांक-845 मुरेंडा जंगल में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के वन्य प्राणी एक जंगली सुअर का शिकार करने के आशय से आरक्षित वन कक्ष में विस्फोटक सुअर मार बम को मक्का लाई के साथ मिलाकर एक जंगली सुअर को मारकर आखेट किया। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2(31), 9, 32, 39, 50 सहपठित 51 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— आरोपी मामले में दिनांक-26.09.2002 से दिनांक-10.10.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग कुल्हाड़ी, एक नग हंसिया, लकड़ी एवं सुतली के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट